



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Fax No. 2780290  
Website- [www.res.uk.gov.in](http://www.res.uk.gov.in)

PH. No. 2781556, 2780290  
gmail: [hod.res.uk@gmail.com](mailto:hod.res.uk@gmail.com)

पत्रांक 617 / ग्रा0नि0वि0 / निर्देश / 2023-24

दिनांक 09 जून-2023


- 1- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2),  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
कुमायूँ मण्डल भीमताल (नैनीताल)।
- 2- समस्त अधीक्षण अभियन्ता,  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड।

// ई-मेल द्वारा //

**विषय :- ई-प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत Standard Bidding Document लागू किया जाना।**

उपरोक्त विषयक ग्रामीण निर्माण विभाग के अन्तर्गत रू0 1.50 करोड से अधिक लागत के कार्यों के सम्बन्ध में अपनाई जा रही ई-प्रोक्योरमेन्ट पद्धति के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया में एकरूपता लाये जाने हेतु Standard Bidding Document तैयार कर ई-प्रोक्योरमेन्ट के तहत निविदा की समस्त प्रक्रियायें तदनुसार सम्पादित करायें तथा रू0 5.00 करोड लागत तक के कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली 2018 जो कि मूल नियमावली 2017 के नियम-3 के उपनियम-6 में संशोधन किया गया है, में वर्णित प्रक्रिया अपनाई जाये।


**संलग्न :- उपरोक्तानुसार।**

  
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।**

**प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 3- श्रीमती प्रियंका चौहान, कनिष्ठ सहायक को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें

  
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

